

बिहार स्टेट माइनोरिटीज फाइनेन्सियल कारपोरेशन लि० पटना

(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार का एक उपक्रम)

34, हार्डिंग रोड, (अली इमाम पथ) पटना-800001 Ph: 0612-2204975) Fax : 0612-2215994

(Email=minocorpatna@gmail.com. website:www.bsmfc.org)

संख्या: 2481 बी० एस० एम० एफ० सी०, /

पटना, दिनांक: -----

स्वीकृत्यादेश

राज्य सम्पौषित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजनान्तर्गत चयन समिति से दिनांक-01.07.2013 को औरंगाबाद जिला के चयनित अल्पसंख्यकों के द्वारा समर्पित त्रुटिहीन कागजात के आधार पर निम्नलिखित कुल 04 लाभुकों को उनके नाम के सामने अंकित ट्रेड में 5 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज दर पर दर्शाये गए ऋण राशि की स्वीकृति दी जाती है। एवं विभागीय पत्र संख्या 1531 दिनांक 18.05.2016 के तहत RTGS/NEFT के माध्यम से ऋण राशि भुगतान करने हेतु प्राप्त निदेश के आलोक में स्वीकृत ऋण राशि में से 0.5% प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में कटौती करने के पश्चात नीचे शुद्ध भुगतये के स्तम्भ में दर्शाये गये राशि सीधे सम्बन्धित लाभुकों के बैंक खाता में RTGS/NEFT के माध्यम से अंतरित करने का आदेश दिया जाता है:-

Sl. No.	Appl_Name / F/H_Name & Address	Bank A/c No.	Trade	Sanctioned Loan Amount	Less 0.5% Processing Charge	Net Payable Amount
1.	Md Mahfooj Alam, S/o- Late Md Adud Alam, Vill.-Gahna, Block-Haspura, PS-Haspura, PO-Haspura, Distt.-Aurangabad-824120	A/c No.- 2006000100178265	General Store	100000	500	99500
2.	Yasmin Khatoon, W/o- Furquan Khan, Vill.- Raghunathpur, Block-Haspura, PS-Haspura, PO-Piroo, Distt.-Aurangabad-824120	A/c No.- 2006000100145948	General Store	100000	500	99500
3.	Md Perwez Khan, S/o- Late Quamrul Haque Khan, Vill.- Muslimabad, Block-Haspura, PS-Haspura, PO-Haspura, Distt.-Aurangabad-824120	A/c No.- 2006000100141191	General Store	100000	500	99500
4.	Md Rehan Khan, S/o- Shahid Karim Khan, Vill.- Raghunathpur, Block-Haspura, PS-Haspura, PO-Piroo, Distt.-Aurangabad-824120	A/c No.- 2006000100265394	Juta Chappal Shop	100000	500	99500
			Total	400000	2000	398000

स्वीकृत ऋण राशि में वर्णित ट्रेड में लाभार्थी द्वारा परिसम्पत्तियाँ/सामग्रियों का क्रय 30 दिनों के अन्दर में निश्चित रूप से कर लिया जाना है तथा ऋण राशि से सृजित की गयी परिसम्पत्तियाँ अथवा क्रय की गयी सामग्रियों की भौतिक जाँच पर प्रमण्डलीय कार्यालय के प्रभारी द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

उक्त स्वीकृत ऋण को ऋणधारक द्वारा ब्याज सहित 20 सामान त्रैमासिक किस्तों अर्थात् 5 वर्षों में वापस किया जाना है।

ह0/-

प्रबंध निदेशक

दिनांक: 24/08/16

आपांक: 2481

प्रतिलिपि:- जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, औरंगाबाद/सभी ऋणधारकों/ऋण शाखा/ऋण शाखा (कम्प्यूटर संत)/लेखा शाखा/प्रमण्डलीय कार्यालय प्रभारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रबंध निदेशक
24/8/16